

मांग संख्या 41  
मुख्य शीर्ष 2202

**मद क्रमांक 1 से 2**

विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम हेतु ₹ 1018.36 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 10,18,36,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3 से 4**

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के क्रियान्वयन हेतु ₹ 2468.50 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 20,000 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5 से 6**

पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम हेतु ₹ 878.37 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 8,78,37,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7 से 8**

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के क्रियान्वयन हेतु ₹ 1645.66 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 20,000 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2210**

**मद क्रमांक 9 से 10**

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) हेतु ₹ 38.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 38,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 11 से 12**

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन (PMABHIM) हेतु ₹ 2850.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 28,50,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 13**

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अंबिकापुर, जगदलपुर, कोरबा एवं कांकेर में वायरोलॉजी लैब की स्थापना के लिए लैब टेक्नशियनों के 60 अतिरिक्त पदों के सृजन (वेतन मैट्रिक्स, लेवल-7) हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 100 प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है। उक्त पदों हेतु ₹100.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 14**

केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनांतर्गत 15वें वित्त आयोग अंतर्गत स्थानीय निकायों को अनुदान हेतु ₹ 8512.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 85,12,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष-2235**

**मद क्रमांक 15 से 16**

आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए वृद्धि निगरानी उपकरण क्रय हेतु ₹ 197.00 लाख आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 1,97,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मुख्य शीर्ष 2401

#### मद क्रमांक 17 से 20

भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP) योजना हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 400 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृति किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मुख्य शीर्ष 2405

#### मद क्रमांक 21 से 22

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनांतर्गत समूह दुर्घटना बीमा योजना हेतु ₹14.34 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹14,34,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मुख्य शीर्ष 2408

#### मद क्रमांक 23

राज्य सहकारी विपणन संघ को कस्टम मिलिंग हेतु लोडिंग एवं अनलोडिंग व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 3154.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 31,54,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मुख्य शीर्ष 2501

#### मद क्रमांक 24 से 30

1.राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु ₹ 335.212 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,35,21,200 का अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

2.राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु ₹ 8700.30 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 500 का प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मुख्य शीर्ष 2851

#### मद क्रमांक 31

कोण्डागाँव में शिल्पसिटी की स्थापना हेतु ₹ 50.00 लाख का आवर्ती व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मुख्य शीर्ष 4202

#### मद क्रमांक 32

केन्द्र प्रवर्तित एलडब्ल्यूई योजनांतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में संचालित व्यवसाय कोषा के लिए मशीन, औजार एवं उपकरण क्रय हेतु ₹ 131.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मुख्य शीर्ष 4210

#### मद क्रमांक 33

चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर/जगदलपुर में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण एवं क्रायोजेनिक ऑक्सीजन लिक्विड टैंक निर्माण कार्य हेतु ₹ 728.02 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 7,28,02,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मुख्य शीर्ष 4215

#### मद क्रमांक 34 से 36

जल जीवन मिशन योजना हेतु ₹ 2582.00 लाख (केन्द्रांश 1291.00 लाख एवं राज्यांश 1291.00 लाख) का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 25,82,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मुख्य शीर्ष 4425

#### मद क्रमांक 37

नाबार्ड सहायता से 589 गोदाम निर्माण हेतु अनुमानित लागत ₹34.76 करोड़ (राज्यांश ₹31.29 करोड़) में से इस वर्ष हेतु ₹ 108.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,08,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 4801**

**मद क्रमांक 38**

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड हेतु अंशपूजी पर ₹ 3422.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।